

### न्यायालय:-कमलेश कुमार कोल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.)

F.No.-231704000352012

<u>आप.प्र.क.-337 / 13</u> <u>संस्थित दिनांक-28.12.11</u>

उग्रसेन यादव तनय श्री कल्लू यादव, उम्र-45 वर्ष, पेशा-खेती, निवासी ग्राम हरिहरपुर, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी म.प्र.

..... परिवादी

#### विरुद्ध

- 01. हीरालाल यादव तनय भगवत यादव, उम्र—30 वर्ष, निवासी ग्राम भितरी, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी म.प्र.
- 02. प्रहलादी यादव तनय रामकृपाल यादव, उम्र-50 वर्ष,
- 03. इतरजुआ पत्नी प्रहलादी यादव, उम्र-45 वर्ष,
- 04. सौखीलाल यादव तनय प्रहलादी यादव, उम्र-30 वर्ष,
- 05. कुन्ती यादव पत्नी सौखीलाल यादव, उम्र–25 वर्ष, सभी का पेशा–खेती, निवासी ग्राम हरिहरपुर, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी म.प्र.

.....अभियुक्तगण

परिवादी द्वारा

श्री एम. पी. निगम अधिवक्ता।

अभियुक्तगण द्वारा

श्री अनिल सिंह अधिवक्ता।

### <u>//निर्णय//</u> (आज दिनांक 18/07/18 को घोषित)

- 01. अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 294 भा.दं.वि. का आरोप है कि दिनांक 15.12.11 समय 10.00 बजे ग्राम हरिहरपुर, थाना रामपुर नैकिन में लोक स्थान पर अभियोगी को अश्लील गालियाँ देते हुये उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया।
- 02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोगी के द्वारा धारा 323, 323/34, 506 भाग-एक भादवि. में राजीनामा कर लिया गया है

(कमलोश कुमार कोल) ब्याबिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर मैकिन, जिला-सीबी (म.प.)




जिस कारण से अभियुक्तगण को उक्त अपराध से दोषमुक्त किया गया है।


- 03. परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.12.11 समय 01.00 बजे परिवादी ग्राम हरिहरपुर में उसकी लड़की को अभियुक्त हीरालाल अश्लील बातें किया। जब दिनांक 15.12.11 को उससे कहा गया कि वह इस तरह की बात क्यों कहता है, इसी बात पर से अभियुक्त हीरालाल ने मादरचोद—बहनचोद की गालियाँ दिया। उसी समय प्रहलादी, इतरजुआ, सौखीलाल व कुंती आ गये, इन लोगों के द्वारा भी गालियाँ दी गयी और मारपीट किया। थाना रामपुर नैकिन में रिपोर्ट की गयी, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुयी तब न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया जिसपर न्यायालय के द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुये विचारण की कार्यवाही की गयी।
- 04. अभियुक्तगण के विरूद्ध पैरा क्रमांक 01 में वर्णित आरोप पूर्वाधिकारी के द्वारा विरचित कर पढ़कर सुनाया व समझाया गया तो उन्होंने अपराध करने से इंकार किया और विचारण चाहने का उनका अभिवाक् अंकित किया गया।
- **05.** अब प्रकरण के समुचित निराकरण के लिए विचाणीय बिंदु यह हैं कि:—

क्या, अभियुक्तगण ने दिनांक 15.12.11 समय 10.00 बजे ग्राम हरिहरपुर, थाना रामपुर नैकिन में लोक स्थान पर अभियोगी को अश्लील गालियाँ देते हुये उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कियां?

> / / सकारण विवेचना सहित निष्कर्ष / / विचारणीय बिंदु का सकारण निष्कर्ष:--

> > (कमलेश कुमार खौल) न्नाबिक मिलस्ट्रेट प्रथम श्रेपी रामपुर नैकिन,जिला-सीदी (म.प्र.)





08. प्रकरण में जप्त संपत्ति कुछ नहीं है।

09. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में विचारण के दौरान प्रस्तुत जमानत—मुचलक आगामी 6 माह के लिये इस आशय से विस्तारित किये जाते है कि यदि इस निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है तो माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार उपस्थित रहेगें।

10. अभियुक्तगण पूर्व में जिस अवधि के लिए अन्वेषण जांच अथवा विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहा हो, तत्संबंध में उनका धारा—428 दंप्रसं, 1973 का प्रमाण—पत्र पृथक् से तैयार किया जाए।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित व मुद्रांकित कर घोषित किया गर्थ।।

(कमलेश कुमार कोल) न्यार्थिकम्बीजिस्ट्रेट प्रथम भेणी रामखुरिक किन् जिला स्मिधी, रामखुर नेकिन जिला सिधी, मेरे निर्देशन पर टंकित्। १५०० हिन्द्रीय





<u>न्यायालय कमलेश कुमार कोल, न्यायिक⁴³नजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुरनैकिन, सीधी</u>
<u>जिला–सीधी (म.प्र.)</u> (29)

//प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा ४२८ द.प्र.सं.//

दाण्डिक प्रकरण क्मांक 33 अ/20/3

🗸 मध्यप्रदेश राज्य <del>-द्वारा आरक्षी केन्द्र रामपुरनैकिन, जिला सी</del>धी <del>(म.</del>प्र.) — প্ৰস্তুনৈ ক্ৰাণ্ড बनाम

'हीरात्मात्म यात्रव वर्णण (\$)

<b>क</b>	अभियुक्त का नाम	अभियुक्त का गिरफ्तारी दिनांक	पुलिस रिमाण्ड अवधि	न्यायिक रिमाण्ड अवधि	जमानत पर मुक्त होने का दिनांक	न्यायिक निरोध में व्यतीत अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>हरिताल</u>			1012	3 -	
						97 1
					(₹	मलेश कुमार कौल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन,जिला-सीवी (म.प्र.)

# न्यायालय कमलेश कुमार कोल, न्यायिव:44मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुरनैकिन, सीधी जिला-सीधी (म.प्र.) //प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 द.प्र.सं.// दाण्डिक प्रकरण कमांक 337/2013 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रामपुरनैकिन, जिला सीधी (म.प्र.)

हिराकात्म यगड्य वर्ग

क अभियुक्त का . नाम	अभियुक्त का गिरफ्तारी दिनांक	पुलिस रिमाण्ड अवधि	न्यायिक रिमाण्ड अवधि		न्यायिक निरोध में व्यतीत अवधि
1 2 1. DE CHET	3	4	5	6 (T)	निक्न, जिला-सीधी (म.स.)

न्यायालय कमलेश कुमार कोल, न्यायिक्45मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुरनैकिन, सीधी

जिला-सीधी (म.प्र.)

//प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 द.प्र.सं.//

दाण्डिक प्रकरण कमांक ९३२/२०। 3

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रामपुरनैकिन, जिला सीधी (म.प्र.)

बनाम
होराल्गे व्याप्त वर्गे इडिंगे

अभियुक्त का अभियुक्त पुलिस न्यायिक जमानत पर न्यायिक निरोध में व्यतीत नाम का रिमाण्ड अविध मुक्त होने अविध

<b>क</b>	अभियुक्त का नाम	अभियुक्त का गिरफ्तारी दिनांक	पुलिस रिमाण्ड अवधि	न्यायिक रिमाण्ड अवधि		न्यायिक निरोध में व्यतीत अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर गुमा भाइन				7 (3	म् ज्यतेश कुमार कील)

न्याधिकः अजिरद्रेट प्रथम श्रेषी रामपुर नावज्ञ जिला-सीथी (मृजुः)

(32)

### न्यायालय कमलेश कुमार कोल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथेस श्रेणी रामपुरनैकिन, सीधी जिला-सीधी (म.प्र.)

//प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 द.प्र.सं.//

दाण्डिक प्रकरण कमांक 332/2013 - अञ्चल र अपन्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रामपुरनैकिन, जिला सीधी (म.प्र.)

हीराव्याच्य याद्य योग्ड

क	अभियुक्त का नाम	अभियुक्त का गिरफ्तारी दिनांक	पुलिस रिमाण्ड अवधि	न्यायिक रिमाण्ड अवधि	जमानत पर मुक्त होने का दिनांक	न्यायिक निरोध में व्यतीत अवधि
1	2	3	4	5	6	. 7
1.	सेश्विकाक भारत				3	

(क्रिकेन्ट्रि

न्यायालय कमलेश कुमार कोल, न्यायिक मजिस्ट्रेड प्रथम श्रेणी रामपुरनैकिन, सीधी जिला-सीधी (म.प्र.)

//प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 द.प्र.सं.//

दाण्डिक प्रकरण कमांक 332/2013

हिराद्यात भारत वर्गे क

<b>क</b>	अभियुक्त का नाम	अभियुक्त का गिरफ्तारी दिनांक	पुलिस रिमाण्ड अवधि	न्यायिक रिमाण्ड अवधि		न्यायिक निरोध में व्यतीत अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	24154			5/07	75	

(कमलेश कुमार कोल) कमलेश कुमार क्यायिक मेजिस्ट्रेट प्रचन बेली) न्यामिक केलिस्ट्रिड प्रचन बेली) रामपुरनेकिन, जिला—सीधी (म.प्र.)





## Order Sheet [Contd]

(10 , Case No. 33.2) of 20/.3...

	Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
-Bo21	83 /7 17	- Grando Carteral	S MILETIN
		2-10/21 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	30/0
		Crom that stay tom aim,	30.6.1
		उन्हें। परिवादी अपट्टी देत	
		Jun Live Gho simples	
		प्राप्त प्रियादी के प्रथम हैं। प्रियादी के प्रथम हैं। प्राप्त के कि । प्रथम हैं। विकास के कि ।	—
30-6	6-20 B	1	12.F 28.8.18
		स्मिकारियो अन्यक । उसे अन्य	

Signature of Date of Order or proceeding with Signature of Presiding Officer Parties or Order or Pleaders where Proceeding necessary होउट अखव आरोपी की आज की गर समिर माकि क अविका - पठ पेश किया वाउ - विला स्थित परिकाल साहित अयप परिवाडी डाटा साध्य हट जारा जाहा पुरवीक सार्य B113 18.08-2018 (विभलेश कुमार कील) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन जिला-साँधी (म.प्र.) 18-07-18 📈 आज अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ताः श्री अनिल ्रैसिंह ने उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण आज सुनवाई में लिये जाने का निवेदन किया, आवेदन में वर्णित कारण उचित होने से प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया। मूल प्रकरण पेश हो। न्यायिक मिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन, जिला-सीबी (म.प्र. पुनद्द मूल प्रकरण पेश। प्रकरण का इन्द्राज आज की बोर्ड डायरी में किया जावे। राज्य द्वारा एडीपीओ। प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण परिवादी साध्य हेतु नियत है। इसी स्तर पर फरियादी/आहत उग्रसेन सहित अधिवक्ता श्री एम.पी.निगम ने उपस्थित होकर एक अन्य DCGRPR-07-17-04-17-53-4,00,000 Forms: 320 (2) पेश कर व्यक्त किया कि उमयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया है उनके मध्य अब मध्र

क्यांगीन है ने धनिला में गन्धी नवर को उरेगे जयके मध्य बन

II—156 → C.J.



### Order Sheet [Contd]

-(P. Case No. 33 ) 6120.13

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer.

Signature of Parties or Pleaders where necessary

आवेदन अंतर्गत थारा 320 (2) पेश कर व्यक्त किया कि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया है उनके मध्य अब मधुर स्थापित है वे भविष्य में अच्छी तरह से रहेगें, उनके मध्य अब कोई भी विवाद शेष नहीं रह गया है अतः निवेदन किया कि प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में अमियुक्तगण के विरुद्ध 294, 323, 323/34, 506 भाग दों मादिव का आरोप है जिसमें धारा 294 मादिव का आरोपी राजीनामायोग्य नहीं है, किंतु धारा 323, 323/34, 506 भाग दों मादिव का अपराध राजीनामायोग्य है जिसमें से धारा 323, 323/34 में अर्नुमति की कोई आवश्यकता नहीं हैं। धारा 506 भाग एक में अनुमति आवश्यक है, चूंकि मधुर संबंध स्थापित हो चुके हैं इसलिए परिवादी को राजीनामा योग्य अपराधों में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रकरण में राजीनामा तस्वीक के समय फरियादी उग्रसेन से खेच्छयापूर्वक राजीनामा करना पूछा गया तो फरियादी ने बिना किसी डर वा दबाव के स्वैच्छयापूर्वक राजीनामा करना ब्रवत किया। अत प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों एवं उमयपक्ष के मध्य मधुर संबंध को देखते हुँगे फरियादी का राजीनामा आवेदन पत्र धारा 323, 323/34, 506 माग एक भादिव के संबंध में वाद तस्वीक खीकार किया जाता है एवं राजीनामा आवेदन की खीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण को धारा 323, 323/34, 506 माग एक मादिव के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 294 भादवि का अपराध राजीनामायोग्य न होने से इसके संबंध में विचारण यथावत जारी रहेगा। उमयपक्ष्रों ने आज की तिथी पर

Date of		Signature of
Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Parties or Pleaders where necessary
	साक्ष्य लिये जाने का निवेदन किया, अतः परिवादी का साक्ष्य	
	लिया जाकर उसे छोडा गया। चूंकि परिवादी ने प्रकरण में	·
	. राजीनामा कर लिया हाँ और कोई भी अन्य साक्ष्य न देना	
	व्यक्त किया इसलिए राजीनामा के तथ्य को ध्यान में रखते	,
	ह्ये परिवादी साक्ष्य समाप्त की जाती है।	
	प्रकरण अभियुक्त परीक्षण हेतु नियत किया जाता है।	
	परिवादी की साध्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी	
	ं विपरीत साक्ष्य नहीं है इसलिए अभियुक्तगण का का धारा 313	•
	द् प्राएंसं के तहत अभियुक्त परीक्षण नहीं लिया गया।	
•	- प्रकरण अतिम तर्क हेतु नियत किया जाता है।- ::-	
	· उभय पंक्ष के अंतिम तर्क श्रवण किये गये।	
	प्रकरण निर्णय हेतु नियत किया जाता है। 🗀 🛴	
;	निर्णय पृथकः से टंकित-कराकर दिनांकित हस्ताक्षरित	
:	-कर घोषितं किया गया (- इक् हे हित लाहर र इहा	
	" निर्णयः के अनुसारं <b>अभियुक्तगणः को धाराः 294ः मा</b> .	
	दं.वि. के अपराधाक के शारोप से दोषमुक्त किया गया।	
	प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में विचारण के	
•	दौरान प्रस्तुत जमानत मुचलक आगामी 6 माह-के लिये इस	
	आश्रय से विस्तारित किये जाते है कि यदि इस निर्णय के	
•	विरुद्धि अपील की जाती है तो माननीय अपीलीयः न्यायालय के	
,	आदेशानुसार उपस्थित रहेगैं।	
	प्रकरण का परिणाम दर्ज कर सम्प्र्यावधि में	
•	अमिलेखागार मेजा जाये।	
•	(क्रातिश्व मुजार स्रोति) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	
	रामपुर बेल्डि, जिला-सीधी (म.प.)	
•		
	The state of the same of the s	
;		
	ाका समाप्र समाप्रक स्थापकार प्रकार के स्थापकार की स्थापकार की स्थापकार की स्थापकार की स्थापकार की स्थापकार की	÷
	The first is the complete the first terms of the fi	
	, and the second se	